1	2
2. Srisailam Left Bank Canal Scheme	The State is required to establish clearly the water availability on long term basis.
3. Bhima Lift Irrigation Scheme .	Do.
4. Sriram Sagar Project Stage-II .	Hydrology has been finalised and State is required to finalise irrigation aspects in the first instance.
5. Galeru Nagari Sujala Sravanthi .	The State is required to establish water availability on long term basis.
6. Priyadarshini Jurala Project .	Accepted by Advisory Committee in April, 1988. The State Government is required to obtain clearance from the environmental angle.
7. Vamsadhara Project Stage-II .	Accepted by the Advisory Committee in December, 1991. The State is required to obtain clearances from the Ministry of Environment & Forests from environment and forest angles and from the Ministry of Welfare on Rehabilitation and resettlement aspects.
8. Yeleru Reservoir Scheme . .	Modified report received recently. The State is required to obtain environment & forest clearance.
9. Polavaram Project . . .	Hydrology has been finalised and State is required to finalise Irrigation plannig in the first instance.
10. Inchampalli Multipurpose Project	The detailed project report has not been formulated. A working Group is to be constituted for sorting out environmental issues in the first instance.
11. Chelamalavagu Project . .	Techno-economic examination has been completed. The State Government has not furnished Rehabilitation and Resettlement Plans and has also not referred the project to the Ministry of Environment & Forests for clearance from forest angle.
12. Buggavanka Reservoir Scheme	Modified proforma report received recently.
13. Upper Kaulasnala . . .	Investment clearance given by Planning Commission in February, 1993.
14. Maddileru Reservoir Scheme .	Do.
15. Yerrakalva Reservoir Scheme .	Do.
16. Jhanjavathi Reservoir Scheme	The State Government of Andhra Pradesh is required to obtain concurrence of the Orissa Government for submergence of land in their territory and furnish Rehabilitation and Resettlement Plans to Ministery of Welfare.

सतलुज यमुना संपर्क नहर का पूरा न किया जाना

2277. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में सतलुज यमुना संपर्क नहर के पूरा न होने के कारण हरियाणा को करोड़ों रूपये का नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि सतलुज यमुना सम्पर्क नहर के पूरा न होने के कारण कई लाख घन फुट पानी पाकिस्तान को वापस चला जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस कारण हरियाणा को प्रति वर्ष कितना नुकसान हो रहा है;

(घ) क्या सरकार इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है;

(ङ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस परियोजना को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(च) क्या सरकार इस परियोजना को पूरा करने का कार्य बार्डर कन्स्ट्रक्शन फोर्स को सौंपने का विचार रखती है;

(छ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। रावी व्यास प्रणाली का कुछ जल विभिन्न कारणों से जिसमें सतलुज यमुना संपर्क नहर का पूर्ण नहीं होना भी सम्मिलित है, पाकिस्तान में प्रवाहित हो रहा है।

(ग) सतलुज यमुना संपर्क नहर के पूरा न होने के कारण, रावी व्यास जल अधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980-85 के दौरान हरियाणा विद्यमान नहर प्रणाली द्वारा अपने 2811 घन मिलियन मीटर हिस्से में से केवल 71 प्रतिशत जल का उपयोग करने में समर्थ रहा है। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार नहर के पूरा न होने के कारण हरियाणा को कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाने की वजह से 100 करोड़ रुपये की हानि हो रही है।

(घ) और (ङ) पंजाब सरकार को सतलुज यमुना संपर्क नहर के शेष कार्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को लगाने की सलाह पहले ही दी जा चुकी है। परियोजना को पूर्ण करने के समय का निर्धारण पंजाब सरकार द्वारा लगाये जाने वाले नए अभिकरण/अभिकरणों के स्वरूप और क्षमता पर निर्भर करेगा।

(च) से (ज) सतलुज यमुना संपर्क नहर परियोजना पंजाब सरकार के पास निर्माणाधीन है। किसी उपयुक्त अभिकरण/अभिकरणों को कार्य सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई के बारे में पंजाब सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

केलो बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

2278. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले में प्रस्तावित "केलो बहु-उद्देश्यीय सिंचाई परियोजना" को स्वीकृति अभी दी जानी शेष है;

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के समाधान के लिए किन मुद्दों पर अपना स्पष्टीकरण भेजा है;

(ग) उक्त परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तिम स्वीकृति दिए जाने के मार्ग में क्या बाधाएं हैं; और

(घ) इस परियोजना पर वर्ष 1991-92 तक व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के अन्तर्गत नियोजित कर्मचारियों की संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) परियोजना के जलविज्ञान, सिंचाई आयोजना, जल प्रबंध, फसल आयोजना, बांध, द्वारों और नहरों का डिजाइन, संयंत्र आयोजना, लागत अनुमान, पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजनाएं तथा भूजल पहलुओं को अन्तिम रूप दिया गया है। राज्य सरकार को पर्यावरणीय और वन दृष्टिकोण से पर्यावरण और वन मंत्रालय से